Annexure-LV

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 1881 / 76 / उ.सू.आ. / 2007 दिनांक : 19 / 04 / 2007

प्रेषक :

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रेषित :

1. समस्त महानिदेशालय / निदेशालय स्तरीय लोक प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड
2. समस्त सचिवालय स्तरीय लोक प्राधिकारी / प्रमुख सचिव / सचिव

विषयः महानिदेशालय / निदेशालय स्तरीय लोक प्राधिकारियों (विभागाध्यक्षों) द्वारा अपनी विभागीय राज्य स्तरीय कार्य–समीक्षा बैठकों में सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा लोक प्राधिकारियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के क्रियान्वयन की समीक्षा को अनिवार्य रूप से समीक्षा कार्य बिंदुओं में सम्मिलित किया जाना – सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत उपाय विनिर्दिष्ट

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रख्यापन के 18 माहों के उत्तराखण्ड के अनुभव के आधार पर, राज्य सूचना आयोग को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में, राज्य के राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों से ले कर ग्राम स्तरीय लोक प्राधिकारियों के द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों में जिन बिंदुओं पर इस अधिनियम के उपबंधों तथा भावनाओं के अनुरूप कार्यवाही की जाती प्रतीत नहीं हुयी है उनमें निम्न प्रमुख हैं :

1.1 लोक प्राधिकारियों के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या 146 / सू / XXXI(3) / G / 2006, 22 / 03 / 06 के संलग्नक 1 (सहायक लोक सूचना अधिकारियों के लिए निर्धारित पंजिका का प्रारूप), संलग्नक 2 (लोक सूचना अधिकारियों के लिए निर्धारित पंजिका का प्रारूप), संलग्नक 3 (विभागीय अपीलीय अधिकारियों के स्तर के लिए निर्धारित पंजिका का प्रारूप) तथा उक्त शासनादेश में इंगित अन्य 7 प्रारूपों / प्रपत्रों की तात्कालिक अनुपलब्धता व अनुरक्षण,

1.2 विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा विभागीय अपीलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह / पक्ष में स्थायी तिथियां निश्चित न करना तथा विभागीय अपीलों की सुनवाई के लिए निश्चित व्यवस्था का अभाव,

1.3 उत्तरांचल सूचना आयोग के पत्रांक 36/उ.सू.आ/मु.सू.आ/2005, दिनांक 28/11/05 के द्वारा राज्य सूचना आयोग के द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित की जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रेषण में निरंतरता का अभाव, तथा

1.4 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के द्वारा निर्धारित 16 मैनुअलों को अनुमोदित करा कर उनकी व्यापकतम उपलब्धता सुनिश्चित न किया जाना.

2. यद्यपि पिछले डेढ़ वर्ष की अवधि में कई राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों द्वारा विभागीय स्तर पर उपरोक्त चिन्हांकित कृत्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों की पद्धति को सुधारने का प्रयास किया गया है किंतु आयोग में प्राप्त हो रही शिकायतों तथा द्वितीय अपीलों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि उपरोक्त कमियों का निराकरण प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. आयोग का यह अभिमत है कि यदि उपरोक्त वर्णित चार कमियों का निराकरण, राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के स्तर से निरंतर अनुश्रवण के माध्यम से, हो जाये तब इससे सूचना का अधिकार अधिनियम के उपअबंधों की भावना के अनुसार एक पारदर्शी तथा द्वितीय अपीलों के निस्तारण के माध्यम से राज्य सूचना आयोग द्वारा समय–समय पर उपरोक्त वर्णित कमियों के निराकरण के लिए लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा कुछ एक प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दण्डित भी करने की आवश्यकता पड़ी है. सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के अनुसार सर्वोत्तम उपाय तो यही होगा कि लोक प्राधिकरी स्तर पर ही ऊपर इंगित कमियों के निराकरण की कोई स्थायी व्यवस्था इस प्रकार स्थापित की जाये जिससे वह लोक प्रधिकारियों के राजकीय कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाहन का एक अभिन्न भाग ही बन जाये.

3. उपरोक्त दृष्टि से आयोग की स्पष्ट संस्तुति प्रत्येक राज्य स्तरीय लोक प्रधिकारी के लिए यह होगी कि विभागाध्यक्ष स्तर पर जो भी राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा समय–समय पर आयोजित की जाती है उससे ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' के सक्रिय क्रियान्वयन की समीक्षा को अन्य कार्य बिंदुओं के साथ एक कार्य बिंदु के रूप में सम्मिलित किया जाये तथा अन्य कार्य बिंदुओं के साथ इस कार्य बिंदु की भी एक व्यवहारिक व विभागीय समीक्षा कर ली जाये. उपरोक्त व्यवहारिक समीक्षा की रूप रेखा अग्रेतर प्रस्तरों में सुझायी जा रही है.

निर्धारित पंजिकाओं के अनुरक्षण का भौतिक सत्यापन

4. विभागाध्यक्षों की राज्य स्तरीय समीक्षा में भाग लेने वाला प्रत्येक प्रतिभागी न्यूनतम एक जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी होता है तथा उसके अतिरिक्त जिला स्तरीय अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भी, विभागाध्यक्ष मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, ऐसी विभागीय समीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं. स्पष्टतयः किसी भी राज्य स्तरीय समीक्षा में भाग लेने वाला प्रत्येक अधिकारी जिला स्तरीय लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer) होता है तथा वही अधिकारी अपने से कनिष्ठ कार्यालय के सापेक्ष विभागीय अपीलीय अधिकारी (Departmantal Appellate Authority) भी होता है. इसी प्रकार से जिला स्तर से ऊपर के अधिकारी विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में नामांकित हैं. पहली संस्तुति यह है कि अगले कुछ वर्षो तक, जब तक कि सूचना का अधिकार अधिनियम की व्यवस्थायें पूरे राज्य के प्रत्येक स्तर पर अपनी संपूर्णता में समाहित नहीं हो जाती हैं, तब तक यह अधिकारी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों में

प्रतिभाग करते समय अपने–अपने स्तर पर लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में जो पंजिकाऐं रखते हैं उनको भौतिक रूप से मुख्यालय में भाग लेते समय अपने साथ लायें.

5. इसी प्रकार आयोग द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए मासिक प्रगति विवरण निर्धारित किया गया है उसकी अंतिम माह की, अथवा उन माहों की जो पिछली विभागीय समीक्षा के उपरांत पूर्ण हुये हों, के मासिक प्रगति विवरणों की अपनी कार्यालय प्रति समीक्षा बैठक में साथ लायें. विभागीय बैठक में भाग लेने से पूर्व प्रतिभागियों द्वारा उपरोक्त पंजिकाओं तथा मासिक प्रगति विवरणों की कार्यालय प्रति को विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर जो कोष्ठक सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्य का पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको परीक्षण के लिए उपलब्ध करा दिया जायेगा.

विभागाध्यक्ष स्तर पर सूचना का अधिकार कोष्ठक

6. अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा राज्य सूचना आयोग को मासिक प्रगति विवरण प्रेषित करने तथा सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित अपीलों की राज्य स्तर पर धारा 19(3) के अंतर्गत कार्यवाही के लिए एक पूर्णकालिक कोष्ठक स्थापित किये हैं. इन कोष्ठकों द्वारा ही राज्य सूचना आयोग को मासिक प्रगति विवरण के द्वारा निर्धारित आंकड़े प्रेषित किये जाते हैं. इस संस्तुति में, जो व्यवस्था सुझाई जा रही है, उसमें उपरोक्त कोष्ठक का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तावित है. आयोग का सुझाव है कि जिस विभागाध्यक्ष स्तर पर सूचना का अधिकार कोष्ठक विद्यमान नहीं है वहां कोष्ठक तुरंत स्थापित किये जायें तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर सूचना का अधिकार कोष्ठक को तदानुसार सुदृढ़ किया जाये. इस व्यवस्था को सक्रिय बनाने के लिए उसमें कम्प्यूटर/ऑटोमेशन की अनिवार्य व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये.

7. राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा के लिए जो कार्य बिंदु निर्गत किये जाते हैं उसमें, समीक्षा के लगभग अंत में, सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में एक कार्य बिंदु रखना उचित होगा जिससे जब विभागीय समीक्षा बैठक पूर्ण होने को हो उससे पहले सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ को जो निर्धारित पंजिकाऐं प्रतिभागियों द्वारा भौतिक रूप से परीक्षण के लिए जमा की गयी हों तथा जो मासिक प्रगति विवरण की प्रतियां जमा की गयी हों, कोष्ठक द्वारा उनका परीक्षण पूर्ण किया जा सके तथा विभागीय समीक्षा पूर्ण होने से पूर्व विभागाध्यक्ष, जो कमियां पायी गयी हों, तथा जैसा उनका विश्लेषण किया गया हो, उससे प्रतिभागियों को अवगत करा सके.

8. राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक प्रारंभ होने से पूर्व सूचना का अधिकार कोष्ठक द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी से निर्धारित पंजिका हो प्राप्त कर उनका निम्नवत मूल्यांकन किया जायेगा :

   8.1 लोक सूचना अधिकारियों के लिए निर्धारित पंजिका में प्रविष्टियों के आधार पर, पंजिका में अंकित कुल प्रार्थना पत्रों की संख्या (निर्धारित रूप पत्र, स्तंभ 1) तथा उसकी तुलना निर्धारित रूप पत्र के स्तंभ 16 से करने के उपरांत यह अवगत कराना होगा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा कितने प्रकरणों में वांछित सूचना निर्धारित 30 दिन की अवधि के अंदर, या बाद में, निर्गत की गयी है. इससे लोक सूचना अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सकेगा कि देय सूचना देने में उक्त तिथि तक कुल कितने प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी स्तर से निर्धारित समयावधि से अधिक समय लिया गया तथा क्या वह अतिरिक्त समय लिया जाना उचित था? इस प्रकार से सूचना का अधिकार

कोष्ठक द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को, विभागाध्यक्ष के माध्यम से, पंजिकाओं के रख रखाव तथा प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की स्थिति का अभिसंज्ञान कराया जा सकेगा.

8.2 सूचना का अधिकार कोष्ठक द्वारा, इसी प्रकार निर्धारित रूप पत्र के अनुसार परीक्षण कर, प्रत्येक विभागीय अपीलीय अधिकारियों को भी यह अवगत कराया जा सकेगा कि उनके द्वारा उक्त तिथि तक कितने प्रकरणों में विभागीय अपील को निस्तारित करने में निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक का समय लिया गया तथा क्या यह अतिरिक्त समय लिया जाना उचित था ?

8.3 लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों के कार्यो के उपरोक्त मूल्यांकन के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत, प्रतिभागियों में से किसी एक के कार्यालय को अंतरित (transferred) किये गये अनुरोध पत्रों का मिलान विभागाध्यक्ष कार्यालय में रखी गयी पंजिका (शासनादेश संलग्नक 7) से भी किया जा सकेगा. इस प्रकार से सूचना का अधिकार कोष्ठक द्वारा इन इन पंजिकाओं के माध्यम से विभागाध्यक्ष स्तर से अंतरित प्रार्थना पत्रों का भी सक्रिय अनुश्रवण किया जा सकेगा.

9 उपरोक्त 3 प्रकार के अनुश्रवण सीमित समय में न्यूनतम हैं, जिन्हें किसी भी विभागाध्यक्ष स्तर का सूचना का अधिकार कोष्ठक उपलब्ध समय में सुगमता से कर सकता है. सूचना का अधिकार कोष्ठक उपरोक्त व्यवस्था को, पूर्व तैयारी कर के templates की सहायता से, इस प्रकार से भी आयोजित कर सकता है जिससे कि विभागीय बैठक पूर्ण होने के साथ पंजिकाओं को भौतिक रूप से लौटाने के साथ–साथ सूचना का अधिकार कोष्ठक का उपरोक्त लिखित मूल्यांकन भी विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रतिभागियों को उपलब्ध हो जाये. प्रतिभागियों द्वारा इन मूल्यांकनों का उपयोग अपने कार्यालय लौट कर किया जा सकता है.

विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कार्य का मूल्यांकन

10. राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक के अंतिम चरण में, सूचना का अधिकार कोष्ठक द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त समीक्षा के आधार पर, मण्डल स्तरीय पर तथा जिला स्तरीय लोक प्राधिकारियों के सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है. इसी मूल्यांकन में प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त अनुरोधों के के आधार पर प्रस्तुत प्रशासकीय कठिनाईयां के संबंध में भी विभागाध्यक्ष स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रत्येक वरिष्ठ स्तर पर प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित पंजिका को रखा गया है अथवा नहीं, तथा प्राप्त अनुरोधों तथा विभागीय अपीलों का वास्तव में निस्तारण किया जा रहा है या नहीं, वहीं इसके माध्यम से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनसे प्रकट होने वाली विभागीय कठिनाईयों का भी समाधान किया जा सकेगा. इस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था को राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में एक स्थायी कार्य बिंदु (agenda) के रूप में शामिल करने में जहां संभव होगा वहीं इसके माध्यम से विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत होने वाली कार्यप्रणाली का जन–मूल्यांकन भी संभव हो जायेगा.

मासिक प्रगति विवरण की तुलना

11. राज्य सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए जो लोक प्राधिकारी स्तर पर पत्रांक 36, दिनांक 28/11/05 के द्वारा मासिक प्रगति विवरण निर्धारित किया गया

है उसके रूप पत्र पर प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह के संबंध में विवरण अगले माह की 10वीं तिथि तक आयोग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है (देखें पत्रांक 36, दिनांक 28/11/05 का प्रस्तर 5). आयोग की राज्य स्तरीय समीक्षा से स्पष्ट होता है कि ऐसे कुल 58 श्रोतों/विभागाध्यक्षों से प्राप्त होने वाली सूचना पिछले 17 माहों में अभी तक, कभी भी किसी भी माह में, समस्त श्रोतों/विभागाध्यक्षों से नहीं हो सकी है. निर्धारित 10वीं तिथि तक औसतन 40–45 श्रोतों/विभागाध्यक्षों से ही यह सूचना आयोग को प्राप्त हो पा रही है. आयोग की दृष्टि से उपरोक्त स्थिति वांछनीय नहीं है. राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा के समय विभागाध्यक्ष के कार्यालय स्थित सूचना का अधिकार कोष्ठक को अपने विभाग के अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर प्रेषित प्रत्येक माह के मासिक प्रगति विवरण की कार्यालय प्रति की तुलना माह में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों से की जानी चाहिए तथा विभागाध्यक्षों के मूल्यांकन के समय उन श्रोतों/लोक सूचना अधिकारियों को विशेष रूप से इंगित किया जाना चाहिए जिनके स्तर से सामान्यतः सूचना प्राप्त होने में विलम्ब होता है. विलम्ब से सूचना भेजने वाले लोक प्राधिकारियों/ लोक सूचना अधिकारियों के नाम बैठक कार्यवृत्त में इंगित किये जाने चाहिएं तथा उनके कार्य का वार्षिक मूल्यांकन करते समय इस शिथिलता का भी उल्लेख किया जाना चाहिए. प्रतिभागियों द्वारा अपने स्तर पर भी अपने स्तर पर की जाने वाली मासिक विभागीय समीक्षा में उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए.

12. उपरोक्त प्रक्रिया से जहां एक ओर राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष भौतिक रूप से निर्धारित पंजिकाओं के रखरखाव को सुनिश्चित कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर पंजिकाओं में जो प्रविष्टियां अंकित की गयी हैं उन्हें सुचना का अधिकार कोष्ठक के मूल्यांकन के माध्यम से अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के उत्तरदायित्वों के निवर्हन की वास्तविक स्थिति का भी मूल्यांकन संभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो मासिक सूचनाएं विभागाध्यक्ष के माध्यम से राज्य सूचना आयोग को प्रेषित जी जानी हैं उसके सामयिक प्रेषण का भी मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा के कार्य बिंदु में जहां एक ओर सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का गुणात्मक मूल्यांकन संभव हो जाता है वहीं इसके माध्यम से विभिन्न स्तरों पर प्रकट होने वाली विभागीय कठिनाईयां भी विभागाध्यक्ष के प्रसंज्ञान में आ जाती हैं जिनका विभागाध्यक्ष निस्तारण कर सकते हैं। उपरोक्त मूल्यांकन व्यवस्था को यथावत, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा, क्योंकि वह जिला एवं उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं, भी यथावत अपने स्तर पर की जाने वाली मासिक अथवा अन्य मण्डलीय/जनपदीय विभागीय समीक्षा में लागू किया जा सकता है। उपरोक्त व्यवस्था को मण्डल/जनपद स्तर पर क्रियान्वित करने से स्वतः ही जहां एक ओर मण्डल/जनपद स्तर पर दोहरा लाभ प्राप्त होगा वहीं पूरे विभाग/संगठन को भी ग्राम स्तर से मुख्यालय स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के साथ–साथ अपने विभागीय कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के अधिक गुणात्मक क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के द्वारा प्रदत्त मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व के अंतर्गत, उपरोक्त उपाय आयोग द्वारा धारा 25(5) के अंतर्गत विशिष्ट रूप से इस आशय के विनिर्दिष्ट किये जा रहे हैं जिससे समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष इस परिपत्र के प्रारंभ में वर्णित सूचना का अधिकार अधिनियम के उन उपबंधों तथा भावनाओं के क्रियान्वयन में अनुभव की जा रही शिथिलताओं का प्रभावी निराकरण कर सके, लोक प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में जो प्रयास किये जायेंगे उनका आयोग द्वारा

मूल्यांकन कर उसे राज्य सरकार के प्रसंज्ञान में लाने के साथ–साथ उसे द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन में भी सम्मिलित किया जायेगा।

14. राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियो/विभागाध्यक्षों के स्तर पर जो कार्यवाही राज्य स्तरीय समीक्षा के माध्यम से इस परिपत्र में विनिर्दिष्ट उपायों के अनुपालन में की जाती है उसके संबंध में यदि राज्य सूचना आयोग से समय से अनुरोध किया जाता है तब राज्य सूचना आयोग द्वारा उनके नियंत्रण में उपलब्ध जो भी परामर्शीय योगदान तथा सहायता संभव है उसे राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा। इस परिपत्र के प्रारंभ में उल्लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में निर्धारित 16 मैनुअलों के प्रकाशन में संबंध में आयोग द्वारा जो अुनश्रवण प्रारम्भ से ही किया जा रहा है उसे इन राज्य स्तरीय समीक्षाओं के माध्यम से भी सुनिश्चित कराया जाता रहेगा और इस संबंध में भी राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों द्वारा आयोग के मैनुअल प्रभारी की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

15. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए जो कार्यवाही की जाये उससे आयोग तथा राज्य सरकार के नोडल विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग को भी सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि–

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को अनुश्रवणार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ नोडल विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित
3. समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, सचिवालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त